माननीय न्यायालय बोर्ड आफ रेव्हेन्यू ग्वालियर केम्प उज्जैन
प्रकरण क्रमांक /2011 निगरानी R-71-I/2012

जुझारलाल पिता धूलाजी जाति बलाई आयु 41 वर्ष
धन्धा कृषि निवासी ग्राम रीछा तहसील आलोट जिला
रतलाम -------------- प्रार्थी

विरुद्ध

रामसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत धन्धा कृषि
निवासी ग्राम रीछा तहसील आलोट जिला रतलाम
--- प्रतिप्रार्थी

110
28/12/11

<u>निगरानी आवेदन पत्र अधीन धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व सहिता सन् 1959 ब नाराजी आदेश दिनांक 16/11/11 अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन संबंधित प्रकरण क्रमांक 223-अ/10-11 अपील</u>

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन पत्र सेवा में सादर नकल के दिन मुजरा करते हुए वैधानिक समयावधि में प्रस्तुत है :-

<u>प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य</u>

प्रस्तुत अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी नेअधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील आलोट के न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 250 मध्य प्रदेश भूराजस्व सहिंता के अन्तर्गत इस आषय का प्रस्तुत किया किप्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी के स्वामित्व की भूमि में 4 फीट चौड़ी व 100 फीट लम्बे सर्वे क्रमांक 835 व 832 के भाग पर पत्थर की दीवार व बागड़ लगा कर अतिक्रमण कर लिया है । उक्त भूमि भाग का अतिक्रमण पत्थर की दीवार व बाड़लगा कर किया जाना बतलाते हुए उसे हटाये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जो उक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक /अ-6/09-10 पर अकित किया गया । अधि0 न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलान्ट को पक्ष समर्थन का अवसर दिये बगैर व साक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये गये प्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्त भूमि भाग पर अतिक्रमण प्रमाणित होना मानते हुए आदेश दिनांक 31/5/2010 प्रदान किया गया ।

R71-I/15-

	~~CF 4-9-15~~ ~~अध्यक्ष~~ ~~उपरोक्त पेश~~
4-9-15	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष